To,
The Tehsildar

79/98-99 दि० 9-1-99

रजिस्टर्ड (41)

मा—19

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, [illegible]
उप कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
जनता इण्टर कालेज अम्बेहटा चाँद
सहारनपुर

पत्र संख्या : उप मा० शि० प०/मान्यता/ 1503

मेरठ, दिनांक 22-12-1998

विषय:—आपका हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए ~~अतिरिक्त~~/अतिरिक्त (~~नये~~ विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधित 1987 अधिनियम की धारा 7-(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 2000 की ~~हाई~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित ~~अतिरिक्त~~ वर्गों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ ~~अतिरिक्त~~/अतिरिक्त ~~नये~~ विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है। वित्तविहीन

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित ~~अतिरिक्त~~ की नवीन ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा से सम्बन्धित (जैसे अध्यापकगण, कक्षा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, [illegible], सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व [illegible] से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होंगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से नवीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) कक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये [illegible] व वेतन ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं के नियुक्ति अध्यापकों/प्रशासनिक अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ~~तथा वर्तमान अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।~~ (आवश्यकतानुसार)

(5) ~~नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।~~

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

वर्ग व विषयों का विवरण

	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
...णित	१- हिन्दी २- [illegible] ३- गणित	[illegible]

...मेरठ

...त कार्यालय,
...क्षा परिषद्,
...लाहाबाद।

आपका विश्वासपात्र,

डा० आनन्द प्रकाश माथुर
सचिव।

...व संख्या आई० बी०/मान्यता/ इलाहाबाद, । मार्च १९६ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~, मेरठ
~~(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक,~~ मेरठ
~~(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,~~
(३) हाई स्कूल परीक्षा विभाग,
~~(५) इन्टरमीडिएट परीक्षा विभाग,~~
(४) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८ पार्क रोड, लखनऊ।

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—७५ एच० एस० आई०—१९६६—१०,०००

पत्रांक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

जनता हायर सैकेन्डरी स्कूल,
बम्बेहटा, गांव, सहारनपुर।

विषय: मान्यता। 25-80

महोदय,

इलाहाबाद, दिनांक 19/6/ १९६०।

आपको सूचित किया जाता है कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने मान्यता समिति के प्रस्ताव के अनुसार अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत आदेश प्रदान किया है कि जनता हायर सैकेन्डरी स्कूल, बम्बेहटा गांव, सहारनपुर को जुलाई १९६२ से ~~हाई स्कूल~~ इन्टरमीडिएट परीक्षा के निम्नलिखित वर्ग। विषय में इन प्रतिबन्ध के साथ नवीन। ~~अतिरिक्त~~ मान्यता प्रदान की जाय कि संस्थाधिकारी :-

(क) नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय स्वयं वहन करें।
(ख) इस पत्र में उल्लिखित विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति कर दें।
(ग) इस पत्र में अंकित वर्ग व विषय की शिक्षा के प्रबन्ध से (अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति के प्रतिबन्धों की पूर्ति से) निरीक्षक महोदय। ~~निरीक्षिका महोदया~~ को पूर्णतया सन्तुष्ट करके उनसे ~~...~~ ११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त कर लें। बिना लिखित अनुमति के संचालित कक्षायें अमान्य व अनियमित होंगी और इसके लिए संस्थाधिकारी स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
साहित्यिक	१- हिन्दी २- अंग्रेजी	इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, गणित तथा शिक्षा शास्त्र

विशेष प्रतिबन्ध: (क) उपर्युक्त विषयों के शिक्षणार्थ निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं से विभूषित अध्यापकों की नियुक्ति ११ वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व की जाय तथा अध्यापकों को समय पर वेतन दिया जाय।

(ख) भवन में दो कमरे जिनकी छत बननी शेष है शीघ्र बनाई जाय।

(ग) उपर्युक्त विषयों के शिक्षणार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षण सामग्री शीघ्र क्रय की जाय।

Recd 15/6/66
K

तार

राजकीय

प्रबन्धक

जनता कालिज
अम्बहटा चांद
सहारनपुर

इस्लू वैज्ञानिक वर्गों मान्यता स्वीकृत ( ) प्रतिबन्धों व विषयोंका विवरण डाकसे भेजा जाता

इण्टरमीडिएट

तार न किया जाये ।

कृते सचिव ।

12
IM

पृष्ठांकन संख्या: मान्यता/८२६५-८६०२ इलाहाबाद, दिनांक २-८-६ १९६६ ।

उक्त तार की प्रतिलिपि पुष्टि स्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(१) प्रबन्धक, जनता इण्टर कालिज अम्बहटा चांद सहारनपुर ।

(२) जिला विद्यालय निरीक्षक। ~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ सहारनपुर

(३) इस कार्यालय के कोष विभाग को ।

कृते सचिव,
सहायक सचिव।

हेड लिपिक द्वारा
फाईल कराया जाय

मांख्या ११४७

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
विज्ञान	हिन्दी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, कला, भूगोल, तथा उ०डी०।

टिप्पणी:- जीवविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सैन्य विज्ञान तथा गृहविज्ञान विषयों की अतिरिक्त मान्यता प्रदान नहीं की गयी।

२- निरीक्षणकर्ता निरीक्षण की अनुमति प्रतिबंध (ख) की पूर्ति पर ही है।

भवदीय,

ह०/- सचिव।

पृष्ठांकित संख्या आई० पी०/मान्यता/ इलाहाबाद, दिनांक १९६७ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका।

(२) मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक।

(३) शिक्षा निदेशक (अर्थ विभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(४) हाई स्कूल परीक्षा विभाग।

(५) इण्टरमीडिएट परीक्षा विभाग।

(६) वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, १८, पार्क रोड, लखनऊ।

ह०/- सचिव।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश।

प्रबन्धक, ~~जनता हायर सेकन्डरी स्कूल,~~
अम्बेहटा चांद, (सहारनपुर)।

(0)

7/IM

...ा मान्यता। 5-2-30

...,

आप को सादर सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मान्यता ... के निश्चयानुसार अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत यह आदेश प्रदान किया है कि

इलाहाबाद, दिनांक 4/15/1954।

जनता हायर सेकन्डरी स्कूल, अम्बेहटा, चांद, (सहारनपुर)

~~...ीन हाई स्कूल/इन्टरमीडियट कालेज के रूप में~~ निम्नांकित अतिरिक्त वर्गों तथा विषयों ...ई स्कूल ~~/इन्टरमीडियट~~ परीक्षा १९५६ से इस प्रतिबन्ध के साथ मान्यता प्रदान की जाय कि ... विद्यालय निरीक्षक ~~प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ संस्था को ९वीं कक्षा जुलाई, ...४ से ~~तथा ११वीं कक्षा जुलाई १९५.. से~~ संचालित करने की आज्ञा देने से पूर्व विद्यालय के ...करण, शिक्षण-सामग्री, विद्यालय-भवन, स्थान, पुस्तकालय तथा प्राभूत एवं स्थायी कोष ...की स्थिति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जांय, साथ ही उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाय कि नवीन ...कक्षाओं को चलाने एवं शिक्षा को सुसंपादित करने का समस्त व्यय संस्था स्वयमेव वहन करेगी ... निम्नलिखित विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति कर देगी:-

	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक ~~प्रधान~~ विषय	~~गौण विषय~~
...नात्मक	१. हिन्दी २. संस्कृत अथवा अंग्रेजी ३. गणित।	(अ) कृषि (दो विषयों के बराबर) (ब) इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र तथा अर्थशास्त्र।	

विशेष प्रतिबन्ध:- (क) उक्त विषय के शिक्षणार्थ प्रयोगशाला आदि के हेतु २५००) व्यय किए जाय।
(ख) पुस्तकालय में कृषि सम्बन्धी २००) की पुस्तकें शीघ्र बढ़ाई जाय।
(ग) एक प्रशिक्षित बी०एस०सी० (कृषि) एवं अन्य विषयों के हेतु अदीक्षित अध्यापकों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की तुरन्त नियुक्ति की जाय।

~~...ौण प्रतिबन्ध~~:-

टिप्पणी:- १. अन्य वांछित विषयों में मान्यता न प्रदान की जाय।
२. निरीक्षक महोदय उक्त प्रतिबन्धों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर ही कक्षाओं के संचालन की वैधानिक अनुमति प्रदान करें।

आप का विश्वास-पात्र,

(हस्ताक्षर)

अ० सचिव।

...संख्या

इलाहाबाद, दिनांक ... 1954।

प्रतिलिपि निम्नाधिकारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के हेतु प्रेषित की जाती है:-

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक। ~~प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ सहारनपुर।
प्रथम प्रदेश, मेरठ।
(२) प्रादेशिक उप शिक्षा संचालक,
(३) शिक्षा संचालक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (अर्थ विभाग)
(४) हाई स्कूल ~~/इन्टरमीडियट~~ परीक्षा विभाग।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो विचार प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक वि
इण्टर/साहि० एवं इण्टर/विज्ञा०		संस्कृत, समाजशास्त्र एवं जीवविज्ञान (केवल)

टिप्पणी—(1) कक्षा ···11····· में प्रवेश हेतु कम से कम ···40······ छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकि समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : उ० मा० शि० प०/मान्यता/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। सहारनपुर

(2) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक। सहारनपुर

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

(4) ~~हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, संबंधित अनुभाग।~~ सचिव मा०शि०प० इलाहाबाद

सचिव।

पी० एस० यू० पी० (आर० ई०) 158 मा० शि० प०/652—20-2-96—10,000।

विशेष निर्देश:- संस्थाधिकारी मान्यता प्राप्ति सम्बन्धी आदेश प्राप्त करने की तिथि से २ माह के अन्दर ही निरीक्षण अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिबन्धों की पूर्ति कर तथा उनकी लिखित अनुमति प्राप्त करके ही ९/११वीं कक्षा संचालित करें। यदि निरीक्षण अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ही कक्षायें संचालित की गई तो वह कक्षायें अमान्य व अनधिकृत होंगी।

सत्यापित

भवदीय,

प्रभारी, मान्यता विभाग
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

ह० (पृथ्वीराज चौहान)
अतिरिक्त सचिव।

[illegible] संस्था मान्यता। इलाहाबाद, दिनांक [illegible], १९६७।

प्रतिलिपि निम्नाधिकारियों को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ ---------------- सहारनपुर ----------

(२) प्रादेशिक शिक्षा उप संचालक, ---- मेरठ ----------।

(३) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (अर्थ विभाग)।

(४) ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा विभाग।

ह० (पृथ्वीराज चौहान)
अतिरिक्त सचिव।

ह० ओ० चतुर्वेदी
(लिपिक)
१२जून,१९६०।

(३)

श्री [illegible] अतिरिक्त सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

प्रबन्धक,
जनता जूनियर हाई स्कूल,
अम्बेहटा-चांद
(सहारनपुर)

मान्यता। ८३४५

इलाहाबाद दिनांक १६-८-१९५३।

आपको सादर सूचित किया जाता है कि [illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने मान्यता निधि के नियमानुसार अपने [illegible] के अन्तर्गत [illegible] प्रदान किया है कि

जनता जूनियर हाई स्कूल, अम्बेहटा-चांद (सहारनपुर)

[illegible] हाई स्कूल। [illegible]
[illegible] परीक्षा १९५५ के [illegible] में निम्नांकित ~~[illegible]~~ वर्गों तथा विषयों में हाई [illegible] इस प्रतिबन्ध के साथ मान्यता प्रदान की जाय कि जिला विद्यालय निरीक्षक [illegible] की शर्तों तथा जुलाई १९५३ [illegible] शिक्षण सामग्री, विद्यालय भवन, स्थान, पुस्तकालय तथा स्थायी कोष आर्थिक स्थिति से पूर्ण [illegible] संतुष्ट हों [illegible] विद्यालय के अध्यापकगण, [illegible] शिक्षा को [illegible] नवीन कक्षा। कक्षाओं को चलाने [illegible] तथा निम्नलिखित विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति कर देंगे:-

विशेष प्रतिबन्ध:- निरीक्षक के संतोषानुसार सभी विषयों के पाठनार्थ योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायँ।

	अनिवार्य विषय	प्रधान विषय	गौण विषय	
[illegible]त्यिक	हिन्दी तथा अंग्रेजी	इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र गणित, संस्कृत तथा अर्थ शास्त्र	प्रा० गणित तथा कला	१९५५ की हाई स्कूल परीक्षा से

आपका विश्वास-पात्र,
मोहनलाल मिश्र
उप सचिव
कृते अतिरिक्त सचिव।
[illegible] १५।२।५२

[illegible]संख्या इलाहाबाद दिनांक, [illegible] १९५३।

प्रतिलिपि निम्नाधिकारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के हेतु प्रेषित की जाती है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर
~~[illegible]~~,
मांडलिक उप शिक्षा संचालक, प्रथम मन्डल, मेरठ
शिक्षा संचालक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (अर्थ विभाग)
हाई स्कूल। इन्टरमीडिएट परीक्षा विभाग।

अतिरिक्त सचिव।

[illegible]५३।

प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबंधक,

प्राप्त 229/79-71

श्री प्रधानाचार्य महोदय आवश्यक कार्यवाही हेतु

आ—१६

पत्र संख्या आई० डी०/मान्यता/ 12426 इलाहाबाद, दिनांक 14-8- १९७०।

विषय—आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

उपयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त, इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की १९७2 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध में (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, क्रीड़ास्थल, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(२) इस आदेश-पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवम् योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(ख) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(ख) निर्माणाधीन प्रयोगशाला तुरंत पूर्ण कराई जाय।

(ग) 60 हेट एकल सज्जा डिक्स के हिसाब तथा 2000/- की प्रयोगशाला हेतु शीघ्र क्रय की जाय।

(घ) प्रभूत की अचल संपत्ति के संबंध में सभी प्रमाणपत्र मूल्यांकन शामिल जाय, विद्यालय के नाम रजिस्ट्रेशन तथा निवाह प्रमाण रहित) शीघ्र ही परिषद् कार्यालय को प्रेषित किए जाय।

(ङ) 500/- की विज्ञान संबंधी पुस्तकें शीघ्र क्रय की जाय।

मा० एम० यू० पा०—१८५ एम० एस० आई०—१९६३—१०,००० (हिन्दी भाग)

2166-67
19/9/66

Forwarded to the Manager for information and necessary action please.
2/9/66

प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,

जनता ~~[illegible]~~ बेहटा गोकुल, सहारनपुर।

13

पत्र संख्या आई० डी०/मान्यता/ ४८०७-२६ इलाहाबाद, दिनांक १५-९-१९६८

विषय--आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त, इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की १९६८ की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:--

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा असंगत व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(२) इस आदेशपत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(४) सज्जा की व्यवस्था नि० निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय। साथ ही अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र की जाय।

(२)- २५×२० के दो कमरों का निर्माण शीघ्र किया जाय।

(३) ~~[illegible]~~ सुरक्षित कोष से ५०००) की विज्ञान की शिक्षण सामग्री ९वीं कक्षा संचालित करने से पूर्व क्रय की जाय।

(४) १०००) की एक्स सज्जा कक्षा संचालित करने के पूर्व क्रय की जाय।

(५) प्राभूत ठीक नहीं है। छात्रावास को प्राभूत के रूप में ग्राह्य नहीं है। कृषि फार्म तथा पुर्नव्यवस्था की भूमि भी प्राभूत के रूप में ग्राह्य नहीं अतः नियमानुसार ६००) वार्षिक आय का २०,०००) का प्राभूत पृथक से सुरक्षित किया जाय। प्राभूत के समस्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी शीघ्र भेजें।

मान्यता
जूनियर
H.S

२(१)

प्रेषक,

[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] विद्यालय निरीक्षक,
[illegible]पुर।

पत्र संख्या: २२८७।

दिनांक: ४-२-५३

विषय: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]पुर [illegible] [illegible] मान्यता।

महोदय,

[illegible] [illegible] [illegible] दिनांक [illegible] के [illegible] मैं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]पुर [illegible] [illegible] [illegible] स्थायी मान्यता [illegible] [illegible]।

भवदीय
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]।

प्रतिलिपि संख्या: २२८७ I,

दिनांक: ४-२-५३

प्रतिलिपि निम्नलिखित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

१: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]पुर।
२: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]पुर [illegible]।
३: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
४: [illegible] [illegible] [illegible]।
५: प्रधानाचार्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
६: डिस्ट्रिक्ट [illegible] [illegible] [illegible]पुर।
७: [illegible], [illegible]पुर।

[illegible]
[illegible]
[illegible]।

प्रेषक

(४५)
५
IM

श्री नारायण दास गोठी,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

प्रधानाध्यापक,

जनता जू० हा० स्कूल
अम्बेहटा चाँद (सहारनपुर)

पत्र संख्या मा/६९१८०

इलाहाबाद, दिनांक १३-८-, १९५५।

महोदय,

आपको सादर सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को निम्नलिखित वर्गों एवं विषयों में १९५५ की जूनियर हाईस्कूल ~~हायर सेकेण्डरी~~ परीक्षा के लिए नवीन ~~अतिरिक्त~~ मान्यता प्रदान की गई है। पूर्ण विवरण के सहित नियमित मान्यता पत्र शीघ्र ही यथा समय प्रेषित किया जायगा।

विषयों एवं वर्गों का नाम

- - - - - - - - - - -

आवश्यक :-	अनि०	प्रधान	गौण
	हिन्दी तथा अंग्रेजी	इतिहास, भूगोल, ना० शास्त्र, गणित, संस्कृत अर्थ शास्त्र	प्रा० गणित तथा कला

भवदीय विश्वासपात्र,

मोहन लाल मिश्र

(मोहन लाल मिश्र)
उप सचिव,
कृते सचिव।

मुन्नालाल
११-८-५५

"डाकी"
१०-८-१९५५।